खण्ड – छः
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

1. प्रस्तावना

प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राज्य के सर्वोच्च संगठन होने के नाते छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये विभिन्न कार्यक्रमों की योजना और उसके निष्पादन हेतु प्रयासरत है। मण्डल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये उच्च टैक्नॉलाजी और बेहतर प्रबंधन को विकसित करने और कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना एवं उसको स्वच्छ बनाये रखना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है।

औद्योगिक ईकाईयों से उत्सर्जन और प्रदूषण की ऑनलाईन निगरानी/उच्च प्रदूषणकारी उद्योगों को 17 प्रकार की श्रेणीयों में बांटा जाना एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने एवं प्रशासन में पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2001 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के तहत किया गया है।

3. संगठनात्मक संरचना

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय नया रायपुर में स्थित है, तथा इसके अधीनस्थ सात क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः रायपुर, भिलाई–दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अम्बिकापुर, जगदलपुर में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है :–

तालिका–1

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिले का नाम
1	रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार, गरियाबंद
2	भिलाई–दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा
3	बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, मुंगेली
4	कोरबा	कोरबा,
5	रायगढ़	रायगढ़, जशपुर
6	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर
7	जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर बीजापुर, कोण्डागांव, सुकमा

4. मंडल के मुख्य कार्यकलाप

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान करना।

(2) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अतंर्गत बनाये गए विभिन्न नियमों यथा खतरनाक अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम, 2008, नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2000, जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998, अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011, फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999, बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 आदि के प्रावधानों का पालन कराना।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सम्पादित कार्य–

5.1 जल एवं वायु सम्मति

(अ) मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं

संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान की जाती है। 1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक मंडल को सम्मति शुल्क के रूप में रू0 946.31/– लाख तथा नवीनीकरण शुल्क के रूप में रू. 2824.83/– लाख प्राप्त हुए।

(ब) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

तालिका–2

दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक उद्योगों को जारी की गई, सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की संख्या

क्र.	कार्यालय का नाम	स्थापना/संचालन सम्मति		नवीनीकरण
1	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	स्थापना – 45 संचालन – 37	} 82	233
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	155		290
3	क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई–दुर्ग	220		403
4	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	82		132
5	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	24		20
6	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	33		78
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	94		48
8	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	34		38
	कुल	**724**		**1,242**

5.2 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

(अ) भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन कार्यक्रम (मीनार्स) इसके अंतर्गत प्रमुख प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाती है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्य नदियाँ– महानदी, शिवनाथ, खारून, अरपा, हसदेव, केलो, शंखनी–डंकनी, मांड, इंद्रावती नदियाँ शामिल हैं। यह योजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आर्थिक सहयोग से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका –3

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	98
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	48
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	11
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	66
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	44
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	36
	कुल	303

(ब) **अन्य प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग–** मीनार्स कार्यक्रम के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा स्वयं के वित्तीय व्यय से सभी प्रमुख नदियों तथा उनकी सहायक नदियों एवं मुख्य झीलों, बांधों तथा तालाबों के जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका –4

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	116
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	101
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	153
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	248
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	140
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	36
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	83
	कुल	**877**

(स) **औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग–** उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल की गुणवत्ता मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। मॉनिटरिंग परिणामों के आधार पर उद्योगों पर कार्यवाही की जाती है। दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 31

दिसम्बर, 2017 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका–5

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	133
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	64
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	36
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	60
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	07
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	01
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	109
	कुल	**410**

5.3 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

(अ) **राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (NAQM)**– इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के चार प्रमुख शहरों रायपुर, कोरबा, बिलासपुर एवं दुर्ग–भिलाई में परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग में आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित हैं। मॉनिटरिंग में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (एस. पी.एम.), रेस्परेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (आर.एस.पी.एम.), सल्फर डाई–आक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विश्लेषित नमूनों की संख्या निम्नानुसार है :–

तालिका – 6

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	एस.पी.एम.	आर.एस.पी. एम.	सल्फर डाई ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	–	778	1556	1556
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	242	268	510	510
3.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	034	343	754	754
4.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	–	466	765	765
	कुल	**276**	**1855**	**3585**	**3585**

(ब) **उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग–** औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप वायु प्रदूषण की स्थिति पर सतत् निगरानी रखने हेतु उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार उद्योगों की चिमनियों एवं परिवेशीय वायु के निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गयेः–

तालिका –7

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्टेक मॉनिटरिंग की संख्या	एंबीएन्ट एयर मॉनीटरिंग की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	250	180
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	30	111
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	निरंक	13
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	निरंक	92
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	14	34
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	128	78
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	106	32
	कुल	**528**	**540**

5.4 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत की गई लोक सुनवाई

(अ) दिनांक 1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक की अवधि में सम्पन्न लोक सुनवाई :–

तालिका –8

क्र.	कार्यालय का नाम	भारत शासन को भेजे गये प्रकरणों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	13

5.5 उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

दिनांक 1 जन. 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक की अवधि में जारी नोटिस एवं निर्देशों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका –9

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नोटिस की संख्या	निर्देशों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	163	403
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	37	99
3.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	40	निरंक
4	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	15	निरंक
5.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	78	189
6.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	निरंक	11
7.	क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	58	31
	कुल	391	733

6 न्यायालयीन कार्यवाही : दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि में क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार न्यायालयीन कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 10

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	उपरोक्त अवधि में दायर प्रकरणों की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	14
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	33
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	09
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	निरंक
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	01
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	निरंक
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	01
कुल		58

7. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम, 2009

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :–

1. प्राधिकार – 46
2. नवीनीकरण – 27

8. जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :–

1. प्राधिकार – 215
2. नवीनीकरण – 105

9. ध्वनि स्तर मापन

मंडल द्वारा दीपावली के पूर्व एवं दीपावली के दिन ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है जिससे कि दीपावली पर्व के दौरान शहरों में ध्वनि का स्तर कितना है यह ज्ञात हो सके। इस वर्ष मंडल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ध्वनि स्तर मापन की संख्या कुल 788 है।

10. खतरनाक ठोस अपशिष्टों का सीमेंट क्लिन में को–प्रोसेसिंग किया जाना

खतरनाक ठोस अपशिष्टों का सीमेंट प्लांट की क्लिन में को–प्रोसेसिंग एक अच्छा व फायदेमंद विकल्प है। मंडल के इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य के 03 प्रमुख सीमेंट उद्योगों द्वारा इस कार्य हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

11. ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन

मंडल के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न प्रमुख उद्योगों द्वारा रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर जगदलपुर, एवं भिलाई में कुल 105 ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं। इन उपकरणों द्वारा सतत् रूप में एस.पी.एम., आर.एस.पी.एम., एस.ओ.टू. एवं एन.ओ.एक्स. की स्थिति लगातार ज्ञात होकर दर्शित होती है।

12. 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाईन कन्टीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित।

मंडल में 17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी उद्योग जिनमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार ऑनलाईन **कन्टीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाना अनिवार्य था, में आने वाले सभी उद्योगों में उक्त सिस्टम स्थापित कर लिया गया है। प्रदेश में ऐसे उद्योगों की संख्या 146 है।** इसके अतिरिक्त रोलिंग मिलें जो की 17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी उद्योगों में शामिल नहीं है, में भी 111 रोलिंग मिलों में ऑनलाईन कंटिन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा लिये गये हैं।

13. ऑन लाईन कन्सेन्ट मेनेजमेंट एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम

मंडल द्वारा ''ऑन लाईन कन्सेन्ट मेनेजमेंट एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम'' की स्थापना की गई है। 01 नवम्बर 2014 से मंडल में स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के लिए ऑन लाईन आवेदन करने की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसके कारण भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त हो गई है। ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करने हेतु 24×7 की सुविधा प्रारंभ है।

14. लाल श्रेणी, नारंगी श्रेणी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को प्रदान की जाने वाली सम्मति नवीनीकरण की अवधि में वृद्धि

मंडल द्वारा लाल श्रेणी, नारंगी श्रेणी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को प्रदान की जाने वाली सम्मति नवीनीकरण की अधिकतम अवधि क्रमशः 05 वर्ष, 10 वर्ष एवं 15 वर्ष कर दी गई है।

15. एक ही परिसर में विभिन्न औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए एकल सम्मति

मंडल द्वारा एक ही परिसर में विभिन्न औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उद्योग से आवेदन प्राप्त होने पर एकल सम्मति जारी करने की सुविधा भी आरंभ की गई है।

16. कंसेन्ट टू ऑपरेट 5 वर्ष की अवधि के लिये दिये जाने का प्रावधान

मंडल द्वारा कंसेन्ट टू ऑपरेट सीधे 5 वर्ष की अवधि के लिये दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

17. वृक्षारोपण बाबत् जानकारी (वर्ष 2017–18 में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी) :–

तालिका –11

क्रं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वृक्षारोपण की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	1,45,003
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	3,44,000
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	3,20,000
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	5,12,785
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	3,12,787
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	2,44,399
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	2,45,254
	कुल	**21,24,228**

18. नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता अभियान

स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता हेतु राज्य के लगभग 6750 स्कूलों में इको क्लब गठित किया गया है। प्रत्येक इको क्लब को रूपये 2500 प्रतिवर्ष के मान से अनुदान राशि प्रदान की जाती है। राज्य में 6 लाख स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

19. जन जागरूकता अभियान

1. **फ्लाईएश की उपयोगिता पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन–** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा 'कोयला आधारित ताप विद्युतगृह से उत्पन्न फ्लाईएश की उपयोगिता' विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 02 जून, 2017 को आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत के मुख्य आतिथ्य एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एन.जी.टी.) की सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति श्री दलीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन.जी.टी.) के विशेषज्ञ सदस्य डॉ एस.एस. ग्रेबियाल, रजिस्ट्रार जनरल के अलावा विभागीय सचिव म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव सहित राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्रमुख औद्योगिक ईकाईयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

2. **ऑनलाईन कन्सेन्ट मैनेजमेंट एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के उपयोग पर कार्यशाला का आयोजन–** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2017 को ऑनलाईन कन्सेन्ट मैनेजमेंट एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के उपयोग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभागीय अधिकारियों के अलावा मण्डल के वरिष्ठ अधिकारी एवं उद्योगपति बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

3. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 प्रमुख शहरों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक–** अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिये वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से छत्तीसगढ़ राज्य के 6 प्रमुख शहरों – रायपुर, दुर्ग–भिलाई, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ एवं कोरबा के जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं मण्डल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागीय अधिकारियों के अलावा छत्तीगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के सदस्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के अलावा कलेक्टर रायपुर उपस्थित थे।

4. **स्वच्छता ही सेवा : स्वच्छता पखवाड़े में मण्डल द्वारा सफाई कार्यक्रमों का आयोजन–** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 01 व 02 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत मंदिर हसौद स्थित दो प्रमुख औद्योगिक संयत्रों एवं रायपुर रेल्वे स्टेशन में साफ सफाई का आयोजन मण्डल के सदस्य सचिव एवं एडवाईजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अगुवाई में किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों की स्लोगन व पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

5. **05 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता और महाविद्यालयीन क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन–** मण्डल द्वारा 05 जून 2017, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'प्रकृति के साथ मनुष्यों को जोड़े' विषय पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभागृह में राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता और महाविद्यालयीन क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में कई अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता और पर्यावरणीय क्विज़ के विजयी प्रतिभागियों को आकर्षक नगद पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया।

6. 16 सितम्बर, 2017 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस में मण्डल द्वारा भाषण और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन– 16 सितम्बर, 2017 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर मण्डल द्वारा स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भाषण एवं पर्यावरण आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन मण्डल के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किये गये।

7. 02 दिसम्बर, 2017 राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस के अवसर पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन–

मण्डल द्वारा 02 दिसम्बर, 2017 राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस के अवसर पर भारतीय प्रबंध संस्थान आई. आई.एम. रायपुर के सहयोग से एन.आई.टी. रायपुर में महाविद्यालयीन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 300 छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। क्विज प्रतियोगिता के साथ–ही–साथ छात्र–छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की जानकारी भी दी गयी। क्विज प्रतियोगिता में एन.आई.टी. रायपुर के

छात्रों को प्रथम पुरस्कार, एन.आई.टी. के ही छात्रों को द्वितीय पुरस्कार और एम्स. रायपुर के छात्रों को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

8. **पर्यावरण संरक्षण मण्डल का जन जागरूकता अभियान– लकड़ी, टायर, पटाखे, फसल अपशिष्टों को न जलायें जैसे विषय शामिल किये गये माईम–शो में–** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सभी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण हेतु जन–जागरूकता अभियान के अंतर्गत 12 दिसम्बर, 2017 को घडी चौक एवं मरीन ड्राईव में माईम शो एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। भारतमाता इंग्लिश मीडियम स्कूल, बिलासपुर के छात्र–छात्राओं द्वारा ठण्ड में वायु प्रदूषण न बढ़े इसके लिये विभिन्न कारकों जैसे लकड़ी व टायर न जलाया जाना, पटाखों को जलाये जाने पर प्रतिबंध, फसल अपशिष्टों को न जलाया जाना एवं नगरीय अपशिष्ट या कचरे को न जलाया जाना विषयों पर माईम के माध्यम से अपनी रोचक प्रस्तुति दी।

9. **प्रदूषण मुक्त दीवाली के लिए जन–जागरूकता अभियान–** प्रदूषण मुक्त दीवाली के लिए जनजागरण अभियान चलाये जाने के लिये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली। श्री सिंह ने बैठक के तुरंत बाद समस्त संभागीय कमिश्नरों, जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र जारी किया है, जिसमें उन्हें आगामी दीपावली को ध्यान में रखकर अधिक आवाज वाले पटाखों पर अंकुश लगाने और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में पर्यावरण विभाग के सचिव श्री संजय शुक्ला, कलेक्टर श्री ओ.पी. चौधरी,

नगर निगम आयुक्त श्री रजत बंसल, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सचिव श्री देवेन्द्र सिंह और श्री अरूण प्रसाद उपस्थित थे।

10. **16 सितम्बर, 2017 अंतराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई द्वारा साईकिल रैली का आयोजन–** क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई द्वारा 16 सितम्बर, 2017 अंतराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर साईकिल रैली का आयोजन श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, मा. मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के मुख्य आतिथ्य, भिलाई ईस्पात संयंत्र के सी.ई.ओ. श्री एम. रवि, मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री ए.सी. मालू की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई।

11. **अंतराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर द्वारा रैली, संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन–** 16 सितम्बर, 2017 अंतराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी विषय पर पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संध्या 4:00 बजे से आयोजित मुख्य कार्यक्रम संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण समारोह श्री अमर अग्रवाल, माननीय मंत्री, नगरीय प्रशासन विभाग,

छ.ग. शासन के मुख्य आतिथ्य एवं श्री लखनलाल साहू माननीय सांसद, बिलासपुर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रातः 8:00 बजे से पॉलिथीन के उपयोग को रोकने के लिये एक रैली आयोजित की गई।

12. **दीपावली के दौरान कम हुआ वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण–** राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग की लगातार पहल और आम जनता के सहयोग से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस बार दीपावली में वायु प्रदूषण पिछले साल की तुलना में लगभग 22 प्रतिशत कम रहा। प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में पिछली दिवाली के मुकाबले इस बार वायु प्रदूषण के स्तर में लगभग 38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। रायपुर शहर में दीपावली के दिन ध्वनि प्रदूषण में भी लगभग 7 प्रतिशत कमी पायी गयी। इस बार रायपुर में ध्वनि की तीव्रता 91.33 डेसीबल रही, जो पिछले साल 97.21 डेसीबल थी। न्यायधानी बिलासपुर में इस बार दिवाली में ध्वनि की

औसत तीव्रता पिछले साल की तुलना में 22.5 प्रतिशत कम होकर 82.3 डेसीबल दर्ज की गयी।

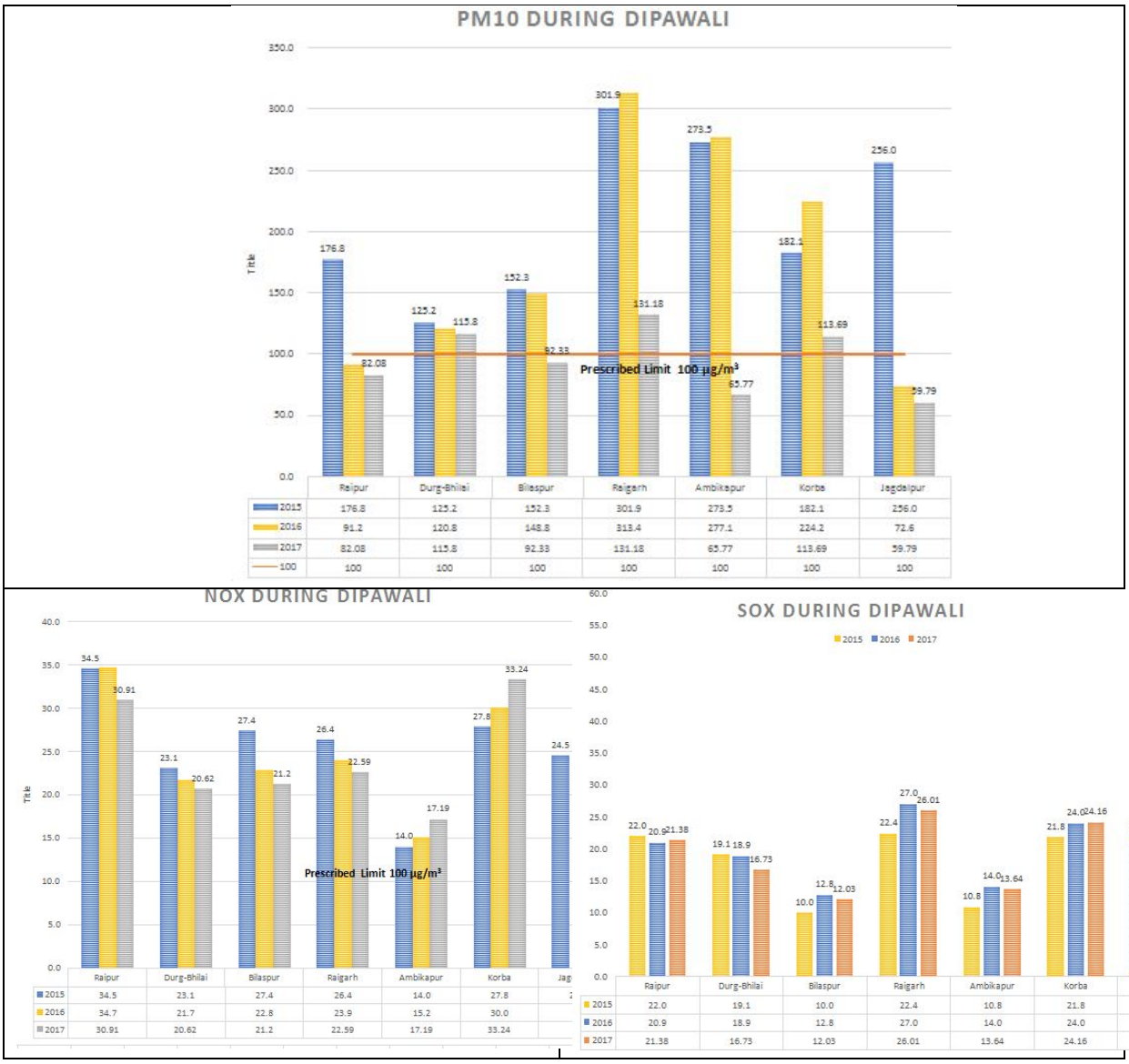

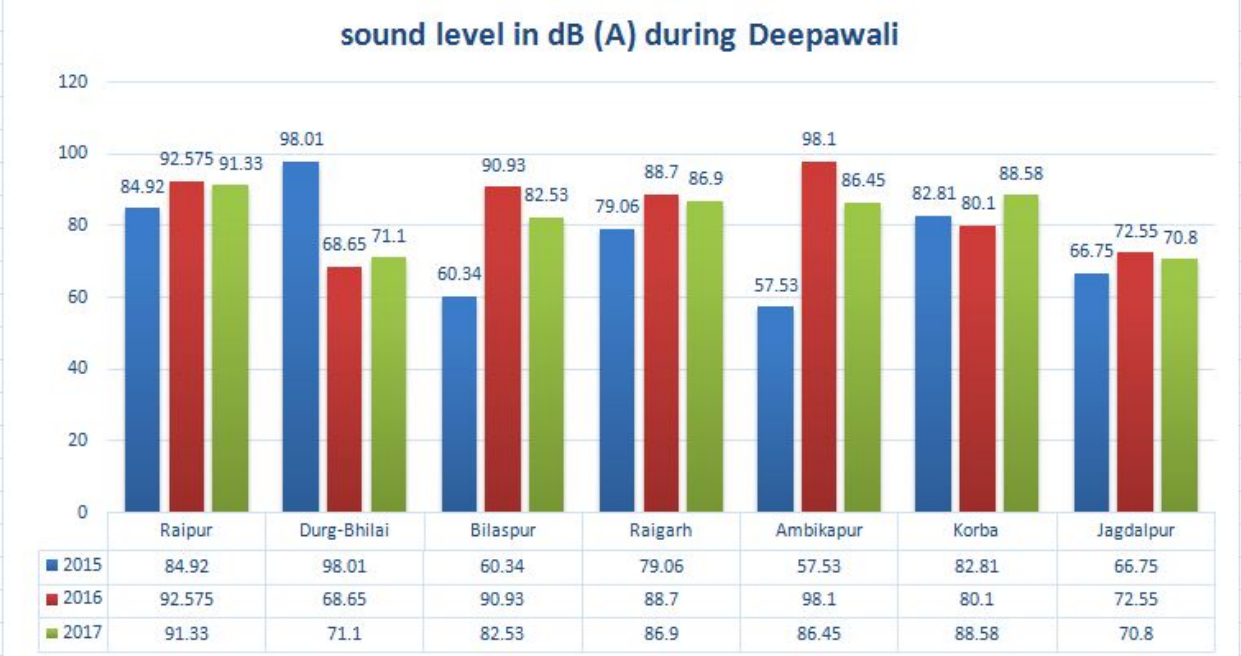

	Raipur	Durg-Bhilai	Bilaspur	Raigarh	Ambikapur	Korba	Jagdalpur
2015	84.92	98.01	60.34	79.06	57.53	82.81	66.75
2016	92.575	68.65	90.93	88.7	98.1	80.1	72.55
2017	91.33	71.1	82.53	86.9	86.45	88.58	70.8

13. **रायपुर शहर की वायु गुणवत्ता के सुधार के लिये किये जा रहे प्रयास–** रायपुर औद्योगिक क्षेत्रों में मुख्यतः वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योग स्थापित है, जिनकी चिमनियों से उत्सर्जित धुएं से डस्ट को नियंत्रित करने के लिये ई.एस.पी., बैग फिल्टर, स्क्रबर आदि स्थापित एवं संचालित है। इन क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :–

1. औद्योगिक क्षेत्र उरला–सिलतरा एवं आसपास के क्षेत्र में नये स्पंज आयरन एवं कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना पर दिनांक 16 मार्च, 2007 से रोक लगा दी गई है।

2. स्पंज आयरन, पॉवर प्लांट, फेरो एलायज प्लांट आदि संयंत्रों की चिमनियों से डस्ट के उत्सर्जन के मानक को और अधिक सख्त (50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर) किया गया है।

3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा इन औद्योगिक ईकाईयों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण किया जाकर चिमनी एवं धूल के अन्य स्त्रोतों से उत्सर्जन में प्रभावी नियंत्रण कराया जा रहा है।

4. स्पंज ऑयरन संयंत्रों एवं ताप विद्युत संयंत्रों की चिमनियों से उत्सर्जन के सतत् परिमापन के लिये ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किये गये हैं।

5. ठोस अपशिष्ट चार–डोलोचार का पॉवर प्लांटों एवं ईंट भट्टों में ईंधन के रूप में उपयोग हेतु विक्रय किया जा रहा है तथा ई.एस.पी. डस्ट ईंट निर्माताओं को एवं भूमि भराव हेतु प्रदाय की जा रही है। फ्लाई ऐश सीमेंट निर्माताओं को तथा ईंट निर्माताओं को प्रदाय की जा रही है।

6. प्रायः सभी वृहद एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक ईकाईयों के द्वारा आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया गया है तथा वृक्षारोपण किया जा रहा है।

7. औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में मार्गों का पक्कीकरण कर लिया गया है।

8. रायपुर के आसपास औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित 45 प्रमुख वृहद्/मध्यम उद्योगों द्वारा परिसर में 33 प्रतिशत की दर पर कुल 1346 एकड़ भूमि में कुल 13.46 लाख वृक्षों का रोपण किया जाना है।

9. औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ–साथ रायपुर एवं आस–पास के क्षेत्रों में वाणिज्य गतिविधियों, वाहनों की संख्या एवं निर्माण कार्यों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु भी कार्य योजना बना कर कार्य किया जा रहा है।

रायपुर शहर का एयर क्वालिटी इन्डेक्स (AQI)

किसी मॉनिटरिंग स्टेशन पर Air Quality Index की गणना पी.एम.10, सल्फर डाई ऑक्साईड एवं नाईट्रोजन ऑक्साईड के दैनिक औसत परिणाम के आधार पर की जाती है। Air Quality Index के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिवेशीय वायु की गुणवत्ता को निम्न 06 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

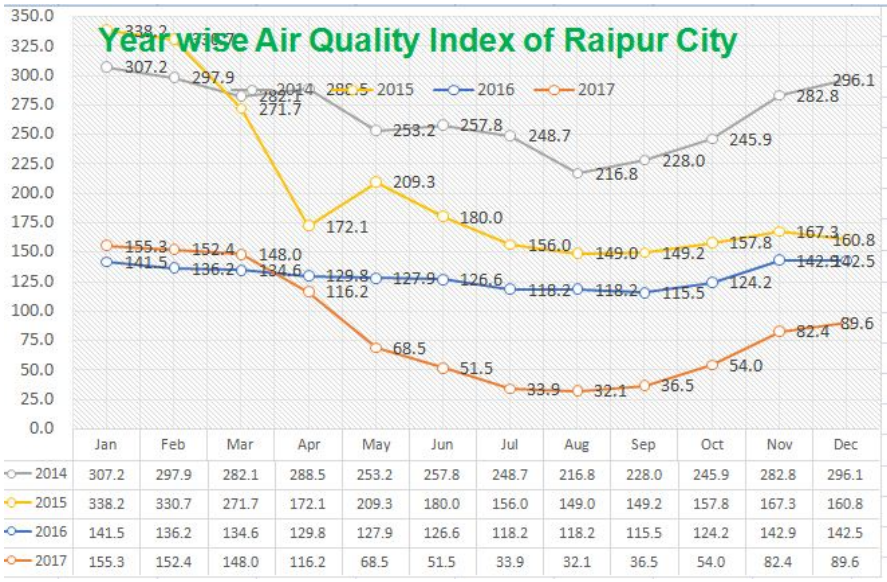

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2014	307.2	297.9	282.1	288.5	253.2	257.8	248.7	216.8	228.0	245.9	282.8	296.1
2015	338.2	330.7	271.7	172.1	209.3	180.0	156.0	149.0	149.2	157.8	167.3	160.8
2016	141.5	136.2	134.6	129.8	127.9	126.6	118.2	118.2	115.5	124.2	142.9	142.5
2017	155.3	152.4	148.0	116.2	68.5	51.5	33.9	32.1	36.5	54.0	82.4	89.6

Index	Category
401-500	SEVERE
301-400	VERY-POOR
201-300	POOR
101-200	MODERATE
51-100	SATISFACTORY
0-50	GOOD

14. बोर्ड की वित्तीय स्थिति

वर्तमान में बोर्ड की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः—

तालिका—12

अवधि	सम्मति शुल्क रू. लाख में	नवीनीकरण शुल्क रू. लाख में	जल उपकर शुल्क रू. लाख में	राज्य शासन से प्राप्त राशि रू. लाख में
दिनांक 01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017	946.31/—	2824.83/—	883.20/—	477.50/—

———000———